21/5/25

[illegible] 23/5/25

[illegible]

23/5/25 – प्र. वादी अन्य पूर्व के समाचार-पत्र की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किया गया। उसके आवश्यक भी कोई उपस्थित होकर मामले/ हाजिर प्रस्तुत नहीं किया गया है। गवाह स्वयं फायदा, कन्हैया, कालूराम, नवीन, सम्पत, इस्लाम, आलम, नवाब, रहमान उपस्थित होकर साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया गया। जो जायदा शामिल पत्रावली किया गया। उक्त गवाहों से जिरह की गई। इस्तगासा सूची के साथ दस्तावेजात एवं न्यायिक दस्तावेज पेश हुये। जो शामिल पत्रावली किया गया। और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है अतः साक्ष्य का अवसर बन्द किया जाता है। अधिवक्ता वादी ने बहस अंतिम हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई। बहस पूर्ण श्रवण किया गया। नजीर एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादीयागण का दावा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] के कमरे तथा जाब्ता दाखिल [illegible]

[illegible] (सिविल जज) [illegible] जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–54/2025

उनवान

1. सलेम खातून पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. नसीब खातून पत्नी शराफत अली पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी संजय नगर, भटटा बस्ती, जयपुर।
3. रूकया खातून पत्नी रज्जाक मोहम्मद पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी आजम नगर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. जायदा खातून पत्नी अशमद अली पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी फिरदोस मस्जिद रोड, वार्ड नं. 64, शास्त्री नगर, जयपुर जिला जयपुर।
5. कल्लो खातून पत्नी अली मोहम्मद पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी आजम नगर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–वादीयागण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–54/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीमिनजामिन मुददई रूबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

विवादित भूमि वाके ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर स्थित आराजीयात हाल खाता संख्या 63 के खसरा नम्बर 387 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 1.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448/4306 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेहखाण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार का नाम हजफ किया जाकर खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेहखाण जाति [illegible] सा0देह खातेदार के वंशज होने एवं वादीगण निरन्तर निर्वि[illegible] से काबिज काश्त होने सें वादीयागण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार [illegible]कार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीयागण के नाम सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या :– 54/2025
उनवान–सलेम खातून बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांक:–23.05.2025

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.05.2025 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा ....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–54/2025

उनवान

1. सलेम खातून पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. नसीब खातून पत्नी शराफत अली पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी संजय नगर, भटटा बस्ती, जयपुर।
3. रूकया खातून पत्नी रज्जाक मोहम्मद पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी आजम नगर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. जायदा खातून पत्नी अशमद अली पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी फिरदोस मस्जिद रोड, वार्ड नं. 64, शास्त्री नगर, जयपुर जिला जयपुर।
5. कल्लो खातून पत्नी अली मोहम्मद पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी आजम नगर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–वादीयागण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–23.05.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर स्थित आराजीयात हाल खाता संख्या 63 के खसरा नम्बर 387 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 1.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448/4306 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात ही वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है, वादग्रस्त आराजीयात वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेखान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी उसी के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादीयागण वाद के सजरा खानदान अनुसार अब्दुल रहमान के वंशज रहे है। अब्दुल रहमान का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वादीयागण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है तथा अब्दुल रहमान की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग वादीयागण के माता–पिता उमर खा व अचरजो खातून द्वारा किया जाता रहा है। अचरजो खातून व मुराद खातून का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त विवादित आराजीयात पर अब्दुल रहमान, उमर खां, अचरजो खातून व मुराद खां की मृत्यु के पश्चात् वादीया संख्या 1 द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था तथा उक्त विवादित आराजीयात का लगान भी वादीयागण के पिता द्वारा ही जमा किया जाता रहा है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात लगभग 100 वर्षो से वादीयागण व वादीयागण के माता–पिता के कब्जे काश्त में रही है। वादीयागण ही उक्त विवादित आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीयागण के माता–पिता ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति रहे है तथा अब्दुल रहमान खां की मृत्यु के उपरान्त कानून की अनभिज्ञता के कारण अपने नाम से खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकें तथा अब्दुल रहमान खां की मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग करते रहे जिस कारण उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी कब्जे में वादीयागण के माता–पिता के पास रही लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही हो सकी। वादीयागण के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादीयागण महिलाये होने के कारण कानूनी अनभिज्ञता के कारण अपने नाम से खातेदारी दर्ज नही करवा सकी इसलिए आज दिवस तक उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान खां के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। दिनांक 18.03.2025 को वादीयागण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कार्यालय में जाकर अपने वंशज अब्दुल रहमान के नाम दर्ज खातेदारी भूमि वादीयागण के नाम करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीयागण के नाम खातेदारी नाम करने से साफ इंकार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा गया, जिस कारण वादीयागण को उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीयागण के दावा पेश कर निम्नानुसार अनुतोष चाहा है कि वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का मंजूर व डिक्री फरमाया जाकर वादीयागण का वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण का कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा वादीगण के नाम की जाकर वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान खां का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण के अपने अनुसार उपयोग –उपभोग व वहा वादीयागण के कृषि कार्य में कोई मजाहमत या मदखलात नहीं करे, न वादी को वहां से बेदखल करे, न वहॉ किसी तरह का कब्जा करे, न वादग्रस्त आराजियात का किसी तरह से व विक्रय, रहन या अन्यथा हस्तान्तरण करे, न प्रतिवादीगण उक्त समस्त कृत्य अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमेंन के जरिये करवाये।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि के सम्बन्ध में समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में आम सूचना उज्र एवं हितबद्ध पक्षकारान को आपत्ति एतराज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जारी की गई। उसके बावजूद भी किसी भी हितबद्ध पक्षकार, वारिसान आदि के द्वारा कोई उज्र/आपत्ति/एतराज आदि आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

वादीयागण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह 1. सलेम खातून पत्नी उमर खां पुत्री उमर खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर, 2. जायदा खातून पत्नी अशमद [illegible] 64, शास्त्री नगर, जयपुर, जिला जयपुर 3. कल्लो खातून पत्नी अली मोह[illegible] पुत्री [illegible]र खां, जाति मुसलमान, निवासी आजम नगर, तहसील चा[illegible] 4. [illegible] पत्नी शराफत अली पुत्री उमर खां, जाति मुसलमान, [illegible] बस्ती, जयपुर, 5. रूकया खातून पत्नी रज्जाक मोहम्मद पुत्री उमर खां, जाति [illegible]लमान, निवासी आजम नगर तहसील चाकसू, जिला जयपुर, 6 अब्दुल जब्बार खान पुत्र शब्बीर खान, जाति मुसलमान, निवासी 150, पठानों का मोहल्ला, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जयपुर, 7. सयेद इशाक

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ,जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र सयेद इब्राहीम, जाति मुसलमान, निवासी मीणों का मौहल्ला, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ने उपस्थित होकर के साक्ष्य का शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2073-76, प्रदर्श 2 कृषि जोत पारा-बुक, प्रदर्श 3 ता प्रदर्श 6 व प्रदर्श 8 ता प्रदर्श 20 लगान रसीदें, प्रदर्श 7 पर्चा लगान, प्रदर्श 21 विद्युत कनेक्शन बिल, प्रदर्श 22 पर्चा नोटिस, प्रदर्श 23 ता प्रदर्श 29 गवाहों के पहचान पत्र, प्रदर्श 30 समाचार पत्र आम सूचना विज्ञप्ति दिनांक 14.05.2025 प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण एवं स्वतंत्र गवाह के द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेखान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी उसी के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादीयागण वाद के सजरा खानदान अनुसार अब्दुल रहमान के वंशज रहे है। अब्दुल रहमान का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वादीयागण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है तथा अब्दुल रहमान की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग वादीयागण के माता-पिता उमर खां व अचरजो खातून द्वारा किया जाता रहा है। अचरजो खातून व मुराद खातून का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त विवादित आराजीयात पर अब्दुल रहमान, उमर खां, अचरजो खातून व मुराद खातून की मृत्यु के पश्चात् वादीया संख्या 1 द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था तथा उक्त विवादित आराजीयात का लगान भी वादीयागण के पिता द्वारा ही अदा किया जाता रहा है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात लगभग 100 वर्षो से वादीयागण व वादीयागण के माता-पिता के कब्जे काश्त में रही है। वादीयागण ही उक्त विवादित आराजीयात पर वर्तमान में काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीयागण के माता-पिता ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति रहे है तथा अब्दुल रहमान खां की मृत्यु के उपरान्त कानून की अनभिज्ञता के कारण अपने नाम से खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकें तथा अब्दुल रहमान खां की मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग करते रहे जिस कारण उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी कब्जे में वादीयागण के माता-पिता के पास रही लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही हो सकी। वादीयागण के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादीयागण महिलाये होने के कारण कानूनी अनभिज्ञता के कारण अपने नाम से खातेदारी दर्ज नही करवा सकी इसलिए आज दिवस तक उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी वादीयागण के वंशज अब्दुल रहमान खां के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित आवश्यक है। एवं न्यायिक दृष्टान्त 2024 (1) APEX COURT JUDGMENTS 079(S.C.) SUPREME COURT OF INDIA, PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMKA & ARAVIND KUMAR, JJ. Civil Appeal Nos. 1288 of 2024 (@ SLP (C) Nos. 26614-26615 of 2016), D/29.01.2024. IDU Through LRs. &Ors. Vs Nizam Din (D) Through LRs. Adverse possession And Ravinder Kaur Grewal vs Manjit Kaur on 7 Aug 2019 -पेश किये गये है। जो शमिल पत्रावली किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया गया। जिसमें साक्ष्य के शपथ पत्र, एवं वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगा0 30 आदि से विवादित भूमि खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेह खाण के वंशज होना एवं लगभग 75 वर्षो से निर्वादरूप से काबिज काश्त होकर भूमि का काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिस संबंध में वादीयागण के द्वारा

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में उल्लेख है कि 2024 (1) APEX COURT JUDGMENTS 079 (S.C.) SUPREME COURT OF INDIA, PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMKA & ARAVIND KUMAR, JJ. Civil Appeal Nos. 1288 of 2024 (@ SLP (C) Nos. 26614-26615 of 2016), D/29.01.2024. IDU Through LRs. &Ors. Vs Nizam Din (D) Through LRs. Adverse possession –Suit for declaration of title on the basis of adverse possession is maintainable.(Para 5) Cases rajerred: Ravinder Kaur Grawal Vs Manjit Kaur] 2019(8) SCC 729 (Para 5) the action of the Society was a violent invasion of his possession and in the law, as it stand in India the plaintiff could maintain a possessor suit under the provisions of the Specifec Relief Act in which title would be immaterial or a suit for possession within 12 years in which the question of title could be raised. As this was a suit of latter kind title could be examined. जो वादीयागण के वाद में पूर्णरूप से चस्पा होते है। जिस संबंध में आदेश 09 नियम 06 में स्पष्ट उल्लेख है कि "जहॉ मुकदमे की सुनवाई के लिए पुकार होने पर केवल वादी उपस्थित होता है ओर प्रतिवादी नही, वहॉ यदि यह साबित हो जाता है कि सम्मन की तामिल समयक रूप से की गई थी तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वादी की एकपक्षीय सुनवाई की जाये। यदि सुनवाई के समय वादी अपना मामला साबित कर देता है तो न्यायालय एकपक्षीय डिक्री पारित कर सकेगा"। उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित भूमि खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेह खाण के वंशज होना एवं वादीगण निरन्तर निर्विवादित निर्बाध रुप से लगभग 70 वर्ष से काबिज काश्त होने पूर्ण रुप से साबित होता है। जिससे वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर व अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि वाके ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर स्थित आराजीयात हाल खाता संख्या 63 के खसरा नम्बर 387 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 1.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448/4306 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेहखाण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार का नाम हजफ किया जाकर खातेदार अब्दुल रहमान खां पुत्र फतेहखाण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के वंशज होने एवं वादीगण निरन्तर निर्विवादित निर्बाध रुप से लगभग 70 वर्ष से काबिज काश्त होने सें वादीयागण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीयागण के नाम सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

नोटः– हाल सर्वे–रिसर्वे के दौरान खसरा नम्बर व रकबा बदले हो तो वर्तमान में जारी मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबन्दी के अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner